संख्या– 31 / XXVIII(1)/2010-03/2010

प्रेषक,

डॉ0 राकेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक: 07 जनवरी, 2010

विषयः– **संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के अरबन हैल्थ सेन्टर के लिए आवश्यक भाग को छोड़कर शेष महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड को पुर्नआवंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

बेस चिकित्सालय श्रीनगर, संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कीर्तिनगर का प्रशासकीय/प्रबन्धकीय नियंत्रण श्रीनगर मेडिकल कालेज को दिये जाने के सम्बन्ध में पारित शासनादेश संख्या यू0ओ0–95/ XXVIII-3/07 दिनांक 15 जनवरी 2008, शासनादेश संख्या –599/ XXVIII-3/08-17/08 दिनांक 16 मई 2008 तथा शासनादेश संख्या 49/ XXVIII-3/09-17/08 TC दिनांक 20 जनवरी 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा इस सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिए गया है कि सम्पूर्ण संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर को एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप अरबन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित करते हुए श्रीनगर मेडिकल कालेज प्रशासकीय/प्रबन्धकीय नियंत्रण में रखने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के एक भाग को अरबन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित करते हुए शेष चिकित्सालय को पुनः महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड के प्रशासकीय/प्रबन्धकीय नियंत्रण पुर्नआवंटित किया जाता है, इसके लिए वर्तमान में मातृ–शिशु कल्याण केन्द्र के तीन कमरे तथा वर्तमान में प्राईवेट वार्ड का एक हॉल को अरबन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विकसित किया

जायेगा तथा शेष संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर का सम्पूर्ण प्रशासकीय/प्रबन्धकीय नियंत्रण श्रीनगर मेडिकल कालेज से समाप्त करते हुए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को पुर्नआवंटित किया जाता है।

2. संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के उस भाग के लिए जिसका प्रशासकीय/प्रबन्धकीय नियंत्रण महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उत्तराखण्ड, देहरादून पुर्नआवंटित किया जा रहा है, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में शासनादेश संख्या–238/चि0–2–03–42/03 दिनांक 24.3.03 के अर्न्तगत गठित चिकित्सा प्रबन्धन समिति संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर के सम्बन्ध में शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पूर्व की भांति कार्य करने लगेगी। इसके साथ उक्त चिकित्सालय के अरबन प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में स्थापित भाग को छोड़कर, शेष भूमि, भवन, उपकरण तथा वाहन जैसा है, जहाँ है के आधार पर महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को निःशुल्क पुनः आवंटित किया जाता है, तथा सम्पत्ति के हस्तान्तरण में पंजीकरण हेतु स्टाम्प शुल्क से छूट रहेगी। महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, संयुक्त चिकित्सालय श्रीनगर में पूर्व की भांति समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

3. शेष समस्त शर्तें एवं प्राविधान शासनादेश संख्या यू0ओ0–95/ XXVIII-3/07 दिनांक 16 जनवरी 2008, शासनादेश संख्या –599/ XXVIII-3/08-17/08 दिनांक 16 मई 2008 उनके अनुसार यथावत् बनी रहेंगी।

भवदीय,

(डॉ0 राकेश कुमार)
सचिव।

क्रमशः--3

संख्या 35 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी पौड़ी / टिहरी।
6. अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी / टिहरी।
8. प्राचार्य, वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, श्रीनगर गढ़वाल।
9. प्रभारी चिकित्साधिकारी, संयुक्त चिकित्सालय, श्रीनगर।
10. प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कीर्तिनगर।
11. वित्त अनुभाग--03 उत्तराखण्ड शासन।
12. गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. एन०आई०सी० / गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
उप सचिव।